

**कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,  
जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़)**

-: आदेश :-

कमांक/59/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020

रायपुर, दिनांक 22/05/2020

लॉकडाउन अवधि में जिला रायपुर अंतर्गत संबंधित तहसीलदार को उनके क्षेत्र के लिए संबंधित व्यक्तियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर विवाह हेतु नियमानुसार अनुमति प्रदान करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

क.	तहसील का नाम	तहसीलदार का नाम	रिमार्क
1.	रायपुर	श्री अमित कुमार बेक	1. तहसील अंतर्गत समस्त क्षेत्र हेतु।
2.	तिल्दा	श्री राकेश ध्रुव	2. विवाह हेतु फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये एक समय में अधिकतम 10 व्यक्तियों को उपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।
3.	आरंग	श्री नरेन्द्र कुमार बंजारा	
4.	अभनपुर	श्री शशिकान्त कुर्रे	

संबंधित तहसीलदार फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये एक समय में अधिकतम 20 व्यक्तियों को उपस्थित रहने की शर्त के साथ अंतिम संस्कार हेतु भी अनुमति प्रदान कर सकेंगे।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

पृ.कमांक/7508/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020  
प्रतिलिपि :-

*Radio*  
अपर कलेक्टर  
वास्ते जिला दण्डाधिकारी,  
रायपुर  
रायपुर, दिनांक 22/05/2020

1. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर को सूचनार्थ।
3. अपर कलेक्टर, समस्त, जिला रायपुर को सूचनार्थ।
4. सर्व अनुविभागीय अधिकारी, जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. तहसीलदार, रायपुर/आरंग/अभनपुर/तिल्दा को पालनार्थ।

संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क विभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ।



*Radio*  
अपर कलेक्टर  
वास्ते जिला दण्डाधिकारी,  
रायपुर (छ.ग.)